

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा

प्रकरण संख्या 52/2025 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये अशोक कुमार यादव  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  
अधिकारी, भीलवाडा

बनाम

1. दिलखुश प्रजापत पुत्र उगमलाल प्रजापत  
मैसर्स श्री बालाजी किराणा एण्ड जनरल  
स्टोर कृषि मण्डी के सामने, आसीन्द,  
भीलवाडा

— प्रार्थी

—विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(v) एवं  
धारा 58

उपस्थित--

- 1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
- 2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

आदेश

दिनांक 16.10.2025

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प-1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये राज. जयपुर ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी दिलखुश प्रजापत पुत्र उगमलाल प्रजापत मैसर्स श्री बालाजी किराणा एण्ड जनरल स्टोर कृषि मण्डी के सामने, आसीन्द, भीलवाडा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय बाबत लाल मिर्च पाउडर का विक्रय कर रहा था। दिलखुश प्रजापत पुत्र उगमलाल प्रजापत मैसर्स श्री बालाजी किराणा एण्ड जनरल स्टोर कृषि मण्डी के सामने, आसीन्द, भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि मौके पर 10 किलोग्राम लाल मिर्च पाउडर रखी था। मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार लाल मिर्च पाउडर का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। बाद जाँच नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-A की प्रति, रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य लाईसेंस की छायाप्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म-6 मेमोरेण्डम, फर्म के संविधान संबंधित पत्र, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्याय निर्णय जांचा 16.10.25  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
भीलवाडा (राज.)

कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरुद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस./886/एफएसएसए/2025/906 दिनांक 30.06.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड contravenes regulation No. 2.3.14(15) because it sold in loose condition होना पाया गया। इसलिए लिया गया खाद्य नमूना loose condition पाया गया एवं विपक्षी द्वारा loose condition खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है।

विपक्षी ने अपनी बहस में बताया कि ग्रामीण परिवेश होने से 5-10 रु. के ग्राहक आते हैं इसलिए खुली लाल मिर्च का विक्रय किया जाता है। कानूनी बातों की जानकारी नहीं है। भविष्य में ध्यान रखेंगे। प्रथम गलती मानते हुये माफी प्रदान करें।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी loose condition लाल मिर्च पाउडर विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा loose condition खाद्य पदार्थ का विक्रय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 58 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूप उक्त अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत विपक्षी पर 10,000/-रुपये शास्ति आरोपित की जाती है एवं विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में वह खुले मसाले का विक्रय नहीं करें। विपक्षी उपरोक्त शास्ति जरिये चालान जमा करा, चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



16.10.25  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।
- 2 श्री दिलखुश प्रजापत पुत्र उगमलाल प्रजापत मैसर्स श्री बालाजी किराणा एण्ड जनरल स्टोर कृषि मण्डी के सामने, आसीन्द, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
भीलवाड़ा (राज.)